प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 06.07.2026

साइबर क्राइम थाना एवं थाना महुली पुलिस द्वारा निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना एवं थाना महुली पुलिस द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2025 धारा 318(4),316(2) बीएनएस से संबंधित प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्तों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

- विक्रांत प्रकाश सिंह पुत्र विद्या प्रकाश सिंह निवासी ग्राम गायघाट, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर।
- सत्यप्रकाश यादव पुत्र रामलालित यादव निवासी ग्राम चंद्रहर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर।

घटना का विवरण
दिनांक 18.10.2025 को वादी श्री संतलाल मौर्य निवासी हटवा थाना महुली द्वारा थाना महुली पर तहरीर देकर बताया गया कि विश्वनाथपुर में संचालित TVS Solution एवं AIIPL Trading के नाम से कार्यालय चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा शेयर मार्केट में निवेश पर 50 से 60 प्रतिशत तक लाभ दिलाने का झांसा देकर उनसे विभिन्न माध्यमों से कुल ₹51,00,000 का निवेश कराया गया। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद न तो लाभ दिया गया और न ही निवेश की गई धनराशि वापस की गई। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा छलपूर्वक धनराशि हड़प ली गई ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान मुख्य अभियुक्त धनंजय शुक्ला एवं रजनी प्रजापति को पूर्व में गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर पूछताछ एवं साक्ष्य संकलित किए गए।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण अपने सहयोगियों के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ का प्रलोभन देकर AIIPL Trading नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश कराते थे। प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को वर्चुअल बैलेंस एवं बढ़ता हुआ लाभ दिखाया जाता था, जबकि वास्तविक रूप से धनराशि शेयर बाजार में निवेश न होकर नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था। इस प्रकार लगभग ₹30 करोड़ की धनराशि एकत्रित की गई।

विवेचना में गिरफ्तार अभियुक्त विक्रांत प्रकाश सिंह एवं सत्यप्रकाश यादव की सक्रिय भूमिका सामने आई। दोनों अभियुक्त निवेशकों को जोड़ने, धनराशि प्राप्त करने तथा नकद एवं बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये का अवैध लाभ अर्जित करने में संलिप्त पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि विक्रांत प्रकाश सिंह ने लगभग ₹4 करोड़ तथा सत्यप्रकाश यादव ने लगभग ₹50 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की, जिससे खजनी, सहजनवां एवं संतकबीरनगर क्षेत्र में अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 318(4),316(2) बीएनएस को धारा 316(5), 61 बीएनएस में परिवर्तित करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मुख्य अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित धन से लखनऊ में खरीदे गए मकान को धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही अपराध से अर्जित संपत्तियों के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर उप निबंधक कार्यालय खलीलाबाद, खजनी एवं सहजनवां के माध्यम से रोक लगाने की कार्रवाई भी की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, आरक्षी सौरभ यादव, आरक्षी शिवम यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कबीर चौराहा के पास से 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ दिनाँक 06.07.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 610/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
01. आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-
01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर।

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, का0 अनिल यादव, का0 संतोष यादव, का0 सचिन यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5994 को थाना मेहंदावल क्षेत्रांतर्गत भरवलिया चौबे के पास से कालर द्वारा बाईक अनियंत्रित होकर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.दीपू पुत्र खेडू सा0 अकेला कुबेरपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मेहंदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मेहंदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 प्रशान्त यादव, हो0गा0चा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 275 वाहनों से 3,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 06.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 275 वाहनों से 3,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।